न्यायालय–विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (प्रथम), भदोही–ज्ञानपुर।

विशेष परीक्षण संख्या–264 सन 2018

सी.एन.आर.यू.पी.एस.नं०10014962018

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम आशीष सिंह ।

अपराध संख्या–162 सन 2018

धारा–138 (b)भा०वि०अधि०

थाना–भदोही, जनपद– भदोही।

दिनांक–12.06.2026

1. आज आवेदक/अभियुक्त आशीष सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह उर्फ आनन्द कुमार सिंह, निवासी ग्राम–छेड़ीवीर ज्ञानपुर रोड, थाना भदोही, जनपद भदोही की ओर से अपराध स्वीकारोक्ति का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है, क्योंकि मुकदमा चलने से उसे हैरानी व परेशानी होगी। अतः जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर मुकदमा समाप्त किये जाने का निवेदन किया।

2. अभियुक्त के प्रार्थनापत्र पर विद्युत विभाग की ओर से नामित शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह आख्या दी गयी है कि अभियुक्त आशीष सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह उर्फ आनन्द कुमार सिंह, निवासी ग्राम–छेड़ीवीर ज्ञानपुर रोड, थाना भदोही, जनपद–भदोही के विरुद्ध थाना ए.पी.टी.भदोही में विद्युत अधिनियम की धारा–138(b)के अन्तर्गत विद्युत विभाग का मु० 1,57,229/– रुपया बकाये के कारण कनेक्सन विच्छेदित किए जाने के उपरांत उसके द्वारा स्वतः संयोजन जोड़कर एल.एम.वी.1विधा में 1किलोवाट अवैध रूप से विद्युत का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया था, जिसमें उसके विरुद्ध आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4. उल्लेखनीय है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध विद्युत बिल मु० 1,57,229/–रुपया बकाये के कारण उसका कनेक्सन विच्छेदित किए जाने के पश्चात उसके द्वारा बिना अनुमति के स्वतः संयोजन जोड़कर एल.एम.वी.1 विधा में 1किलोवाट विद्युत उर्जा का उपयोग किए जाने के सम्बन्ध में अभियोग दर्ज है। आवेदक/अभियुक्त उक्त अपराध के बावत अपना जुर्म स्वेच्छया स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को मु०8000/–रुपये (आठ हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को पन्द्रह दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतना होगी ।

4. बादहू अभियुक्त आशीष सिंह के द्वारा रसीद संख्या–398041 के जरिये मु० 8000/–जमा किया गया है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(पुष्पा सिंह)

दिनांक 12.06.2026

विशेष न्यायाधीश(विद्युत अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय
(प्रथम)भदोही।

Digitally signed by PUSHPA SINGH
Date: 2026.06.25 13:46:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court